भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1905

11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : पीएम-किसान योजना के कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे

1905. डॉ. रानी श्रीकुमारः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक वितरित की गई कुल धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है तथा इसमें शामिल लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के अनुसार, योजना के अंतर्गत लगभग 35% आवेदन अयोग्य पाए गए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अयोग्य लाभार्थियों से वर्षवार वसूल की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा वितरित धनराशि के विरुद्ध वसूली का प्रतिशत क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास इस योजना से भूमिहीन किसानों (लगभग 5.37 करोड़ परिवार) और बटाईदार किसानों (लगभग 2.4 करोड़ व्यक्ति) को बाहर रखने की समस्या के समाधान हेतु कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अपूर्ण भूमि अभिलेखों, गलत आधार-बैंक लिंकेज और भूमि स्वामित्व के हस्तांतरण न होने जैसे प्रणालीगत मुद्दों को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जो योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फरवरी 2019 में आरम्भ किया गया था। इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देशभर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलियों की भागीदारी के पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने शुरुआत से लेकर अब तक 19 किस्तों में 3.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ वितरण किया है। किस्तवार विवरण संलग्न है।

पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर, योजना का लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से लाभार्थियों को अंतरित किया जाता है। यह योजना शुरू में एक ट्रस्ट-आधारित प्रणाली पर शुरू हुई थी, जहाँ लाभार्थियों को राज्यों द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर पंजीकृत किया गया था। शुरुआत में, कुछ राज्यों के लिए आधार सीडिंग में भी छूट दी गई थी। बाद में, इसके निवारण के लिए, पीएफएमएस (PFMS), यूआईडीएआई (UIDAI) और आयकर विभाग के साथ एकीकरण सहित कई तकनीकी हस्तक्षेप शुरू किए गए। इसके अलावा, आधार आधारित भुगतान और ई-केवाईसी के साथ भूमि सीडिंग को अनिवार्य कर दिया गया। इन अनिवार्य मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले किसानों को लाभ मिलना बंद हो गया। जैसे ही ये किसान अपनी अनिवार्य आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे, उन्हें योजना का लाभ उनके देय किश्तों के साथ, यदि कोई हो, प्राप्त होगा।

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आयकर दाता, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य/केंद्र सरकार, संवैधानिक पद धारक आदि जैसे उच्च आय समूहों के कारण चिह्नित अपात्र किसानों को अंतरित किसी भी राशि की वसूली करने का अधिकार है। देश भर में अब तक अपात्र लाभार्थियों से 416 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है।

(घ): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ): भूमि अभिलेख संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों द्वारा रखे जाते हैं। योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश के भूमि अभिलेखों के अनुसार, किसान के पास 01/02/2019 या उससे पहले अपने नाम पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। हालाँकि, यह तिथि उस स्थिति में लागू नहीं होती है जब कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व मृत्यु के कारण उत्तराधिकार के आधार पर स्थानांतरित होता है। इसके अतिरिक्त, यदि किसानों का लाभ अंतरण का कोई भी लेनदेन विफल हो जाता है तो उन्हें विफलता के कारण के साथ सूचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की सलाह पर, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सहित संबंधित बैंक आधार सीडिंग संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए किसानों से संपर्क करते हैं।

अता.प्र.सं.1905

अनुबंध

पीएम-किसान योजना के तहत लाभार्थियों का किस्तवार विवरण और जारी की गई धनराशि

किस्त सं.	किस्त की अवधि	लाभार्थियों की संख्या	वितरित धनराशि (करोड़ में)
1	दिसंबर, 2018 - मार्च, 2019	3,16,21,382	6,324.28
2	अप्रैल, 2019 - जुलाई, 2019	6,00,34,808	13,272.00
3	अगस्त, 2019 - नवंबर, 2019	7,65,99,962	17,526.92
4	दिसंबर, 2019 - मार्च, 2020	8,20,91,433	17,942.95
5	अप्रैल, 2020 - जुलाई, 2020	9,26,93,902	20,989.46
6	अगस्त, 2020 - नवंबर, 2020	9,72,27,173	20,476.24
7	दिसंबर, 2020 - मार्च, 2021	9,84,75,226	20,474.95
8	अप्रैल, 2021 - जुलाई, 2021	9,99,15,224	22,415.06
9	अगस्त, 2021- नवंबर, 2021	10,34,45,600	22,395.43
10	दिसंबर, 2021- मार्च, 2022	10,41,67,787	22,343.30
11	अप्रैल, 2022 - जुलाई, 2022	10,48,43,465	22,617.98
12	अगस्त, 2022 - नवंबर, 2022	8,57,37,576	18,041.35
13	दिसंबर, 2022 - मार्च, 2023	8,12,37,172	17,650.07
14	अप्रैल, 2023 - जुलाई, 2023	8,56,78,805	19,203.74
15	अगस्त, 2023 - नवंबर, 2023	8,12,16,535	19,596.74
16	दिसंबर, 2023 - मार्च, 2024	9,04,30,715	23,088.88
17	अप्रैल, 2024 - जुलाई, 2024	9,38,01,342	21,056.75
18	अगस्त, 2024 - नवंबर, 2024	9,59,26,746	20,665.51
19	दिसंबर, 2024 - मार्च, 2025	9,88,42,900	22,270.45

*****